

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित कनिष्ठ सहायकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० स०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मानन्द जोशी	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाइन्स नैनीताल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।	जनहित
2.	श्री भौनराम	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाइन्स नैनीताल	जनहित
3.	श्री कृष्णा नन्द सुतेड़ी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	जनहित
4.	श्री दिनेश कुमार	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत।	जनहित

स्थानान्तरित कर्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कर्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कनिष्ठ सहायकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कर्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कनिष्ठ सहायकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1096 /स.क./स्था०-3/स्थाना०/2018-19 दिनांक 15 जून 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित सहायक अध्यापकों(प्राथमिक) को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नन्दिता कर्नाटक	रा० आश्रम पद्धति विद्यालय रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर ।	रा० आश्रम पद्धति विद्यालय देहरादून ।	जनहित
2.	श्रीमती पूनम नेगी	रा० आश्रम पद्धति विद्यालय देहरादून।	रा० आश्रम पद्धति विद्यालय रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर ।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1098 /स.क./स्था०-3/स्थाना०/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित प्रशिक्षक(रा0 विकलॉग कर्मशाला)को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालय/संस्था में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रभाती प्रसाद उनियाल	रा0 विकलॉग कर्मशाला चमियाला, टिहरी ।	रा0 विकलॉग कर्मशाला हल्द्वानी, नैनीताल ।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित प्रशिक्षक को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित प्रशिक्षक का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1097 /स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04,देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित वाहन चालकों को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानांतरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० स०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुधाकर सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग।	जनहित
2.	श्री गोपाल चन्द	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	जनहित
3.	श्री जगदीश प्रसाद	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी टिहरी।	जनहित
4.	श्री बचन सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी रुद्रप्रयाग।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित वाहन चालकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानांतरित वाहन चालकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 1100 /स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017(संख्या-01वर्ष 2018) की धारा 16(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 404/XVII-4/ 2015-2/2018 दिनांक 01 जून 2018 द्वारा गठित विभागीय स्थाई स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के अनुसार निम्न लिखित अनुसेवको को समान पद व वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम 3 से कालम 4 में उल्लिखित कार्यालयों में एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

क्र० स०	नाम कर्मचारी/अधिकारी	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुशील सिंह	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।	जनहित
2.	श्री सब्बल लाल	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी।	जनहित
3.	श्री हीरा सिंह	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाईन्स नैनीताल।	रा०आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती, अल्मोड़ा	जनहित
4.	श्री भुवन चन्द्र आर्य	रा०आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती, अल्मोड़ा	रा० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाईन्स नैनीताल।	जनहित
5	श्री अरुण कुमार	रा०प्रमाणित संस्था, हरिद्वार।	रा०बृद्ध एवं अशक्त गृह गोपेश्वर चमोली।	जनहित
6	श्री बलकरन	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	रा०आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती, अल्मोड़ा।	जनहित
7	श्री यदुवीर सिंह	रा०बृद्ध एवं अशक्त गृह गोपेश्वर चमोली।	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार।	जनहित
8	श्री गोबिन्द लाल	रा०आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती, अल्मोड़ा	रा०प्रमाणित संस्था, हरिद्वार।	जनहित
9	श्री चन्दन गिरी	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	रा० अनुसूचित जाति छात्रावास लोहाघाट, चम्पावत	जनहित
10	श्री गणेश राम	रा० अनुसूचित जाति छात्रावास लोहाघाट, चम्पावत	कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी अल्मोड़ा।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा तो उनके इस कृत्य/ आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(2)

स्थानान्तरित अनुसेवकों को निर्धारित समय तक कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । स्थानान्तरित अनुसेवकों का माह जून 2018 का वेतन नवीन तैनाती के स्थान से ही आहरित किया जायेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक ।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल ।

पत्रांक 110) /स.क./स्था0-3/स्थाना0/2018-19 दिनांक 15 जून, 2018
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष ।
2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/बरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
4. अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण, अनुभाग-04,देहरादून ।
5. गार्ड फाइल ।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक ।